**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2281**

**06 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए**

 **रक्षा सेनाओं का तीव्रता से आधुनिकीकरण**

**2281. श्री पि. भट्टाचार्य:**

 **श्रीमती रजनी पाटिलः**

 **श्री दर्शन सिंह यादवः**

 क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की सेनाओं का मुकाबला करने हेतु सक्षम बनाने की दृष्टि से भारतीय रक्षा सेनाओं के तीनों अंगों के तीव्र गति से आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इस मामले में विशेष रूप से स्वदेश-निर्मित विमानों तथा उपस्करों को प्राप्त करने के क्षेत्र में स्वावलंबी बनने पर जोर दे रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा निश्चित समय-सीमा में आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पूरा करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग): सरकार विभिन्न संक्रियात्मक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बलों को तैयारी की अवस्था में रखने के लिए भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने हेतु कई उपाय कर रही है । नए उपस्करों, को शामिल करके, विद्यमान उपस्करों और प्रणालियों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन और प्रशिक्षण इत्यादि के जरिए इसे प्राप्त किया जाता है । पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत उपस्करों के अधिग्रहण और उन्नयन के लिए 1,36,664.02 करोड़ रुपए मूल्य के 150 संविदाओं पर हस्ताक्षर हुए हैं ।

…2/-

-2-

सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं का दोहन करके रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2016 के तहत भारतीय विक्रेताओं से अधिप्राप्ति को प्राथमिकता एवं तरजीह देना, लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर भारतीय उद्योग को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध कराना शामिल है । पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हेलिकॉप्टरों, विमानों, फ्रिगेटों, टैंकों, मिसाइलों और सिम्युलेटरों जैसे रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए भारतीय विकेताओं के साथ 89,308.07 करोड़ रुपए मूल्य के 106 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

 सरकार चालू अधिप्राप्ति परियोजनाओं की नियमित रूप से मानीटरिंग करती है ताकि उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके । इस प्रयोजन के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2016 में प्रावधान शामिल भी किए गए हैं ।

\*\*\*\*\*